प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
भाऊ राव देवरस सरस्वती विद्या मन्दिर,
एच-107, सेक्टर 12 नोएडा, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक सं. शि.स./ 6332-38 /97-98 दिनांक 19.1.98

विषय :- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 16-1-98 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15-6-97-18 एस 171/89 शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में लिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धो के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है ।

<u>प्रतिबन्ध</u> :- विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित नही करा ली जाती ।

2- प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियो और शिक्षको को मिनिमम वेजज ऐक्ट के तहत बैंक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा ।

3- विद्यालय मे छात्रो के चरित्र निमार्ण से संबंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यो की समृद्धि के लिये जारी विभिन्न शासनादेशो का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये ।

4- समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये ।

5-शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरो के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालय की समस्त निधियो का लेखा उचित रूप मे रखा जायेगा । भवन शुल्क/ कैपिटेशनफीस के रूप मे कोई भी धनराशि विद्यार्थियो से लिया जाना वर्जित होगा ।

6- मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को वही वेतनमान महगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को प्राप्त हो रहे होगे ।

7-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सैक्शन न तो बन्द किया जायेगा और न खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा ।

- - -2

8- विद्यालय मे शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढाई जायेगी । विद्यालय मे अस्वीकृत पुस्तको का प्रयोग नही किया जायेगा ।

9- विद्यालय मे सभी वर्ग, धर्म, जाति के छात्रो का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।

10- विद्यालय मे समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओ की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

11-विभाग मे कार्यरत कर्मचारियो के बच्चो एवं आश्रितो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

12-विभागीय आदेशो का पालन किया जाये ।

13-विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/ अध्यापिकाओ पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए ।

14- विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियो द्वारा कभी भी किया जा सकता है । विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमो और समय समय पर जारी किये गये निर्देशो का पालन करेगा ।

15-विभागीय आदेशो/ नियमो की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

16- जिन विद्यालयो के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट केहिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रो को बैठाये तथा भविष्य मे विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षो का निर्माण कराये ।

भवदीय,

17.1.98

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ

पृ0 शि.स./ /97-98 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियो की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- अपर शिक्षा निदेशक, (बेसिक) उ. प्र. इलाहाबाद ।
2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।
3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, - - - - - - - गौतमबुद्धनगर
4- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी - - - - - - - - गौतमबुद्धनगर
5- शिक्षा अधीक्षक/ अधीक्षिका नगर क्षेत्र - - गौतमबुद्धनगर -
6- क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी - - - - - -
7- समाज कल्याण अधिकारी - - - - - गौतमबुद्धनगर

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ ।